न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 18/2019 Gems No. 2019/00220
दायरा तिथि : 26.02.2019
प्राथमिक डिक्री दिनांक: 14.07.2021 फाईनल डिक्री दिनांक 01-09-2021

वादी :–
हेमाराम पुत्र गणेशजी जाति ढोली
निवासी बेडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–
1. भंवरलाल पुत्र भीकाजी
2. नारायणलाल पुत्र भीकाजी
3. पौनी पुत्री भीकाजी
4. कन्या पुत्री भीकाजी
5. गैरीदेवी पत्नि भीकाजी
6. स्व. गणीया पुत्र रामाजी के कायम मुकाम वारिसानः–
 6/1 रमेश पुत्र स्व. गणीया
 6/2 शंकर पुत्र स्व. गणीया
 6/3 भरत पुत्र स्व. गणीया
 6/4 लसीया पुत्री स्व. गणीया
 6/5 पाबू बेवा स्व. गणीया तमाम जातिगण सरगरा निवासीगण बेडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
7. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

उपस्थिति :–
1. श्री हेमन्त बोहरा अभिभाषक वादी की ओर से
2. प्रतिवादी संख्या 01 से 06.... अनुपस्थित।
3. नायब तहसीलदार.................. पेरोकार सरकार

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 01-09-2021

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी ने ग्राम बेडा II पटवार हल्का बेडा II तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 2749, 2750, 2751, 2752 कुल खसरा–04 कुल रकबा 0.75 हैक्टर किस्म नहरी दोयम कुल वार्षिक लगान 09.75 रूपये के संबध में वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व प्रतिवादीगण पेश किया। अपने वादपत्र में वादग्रस्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 06 के संयुक्त सह खातेदारी की भूमि होने तथा वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 से 05 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या–06 का 1/2 हिस्सा निहित होने का कथन करते हुये राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन किये जाने का निवेदन किया। अपने वाद पत्र के समर्थन में वादीगण द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 एवं नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति पेश की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 01 से 06 बावजुद सम्मन तामील के वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से न्यायालय द्वारा दिनांक 20.10.2020 को इन प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश दिये गये। तहसीलदार, बाली विभाजन के उक्त वाद में फोरमल पक्षकार होने से दिनांक 22.12.2020 को प्रतिवादी संख्या–07 का जबाव अवसर बंद करते हुये प्रकरण को वादी पक्ष की साक्ष्य के लिये रखा गया। वादी पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुती के लिये पर्याप्त समय अवसर दिये जाने के बावजुद साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने तथा वकील वादी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड के अनुसार ही विभाजन की डिक्री जारी किये जाने पर सहमति व्यक्त करने से प्रकरण में उभय पक्ष वकुलाय बहस पर मनन के पश्चात् न्यायालय द्वारा दिनांक 14.07.2021 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई। प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना मे तहसीलदार, बाली ने पक्षकारो के मध्य वादग्रस्त भूमि का विभाजन करते हुये अपने कार्यालय पत्रांक/भू.अ./2021/ 1394 दिनांक 11.08.2021 से निम्नानुसार वादी/ प्रतिवादीगण के हिस्से बंट मे भूमि रखते हुये रिपोर्ट पेश की गई:

क्रसं0	नाम खातेदार	विवरण भूमि				नजरी नक्शा में दर्शित रंग
		खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	
01	हेमाराम पुत्र गणेशजी कौम ढोली सा.देह खातेदार	2749 2750/2	0.1300 0.0500	नहरी दोयम नहरी दोयम	1.69 0.65	हरा
		02	**0.1800**	**नहरी दोयम**	**2.34**	

पेज लगातार..........02

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 18/2019 Gcms No. 2019/00220

अनवान हेमाराम बनाम भंवरलाल वगैरा

अंतर्गत धारा 53, 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

क्रं सं0	नाम खातेदार	विवरण भूमि				नजरी नक्शा में दर्शित रंग
		खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान	
02	कन्या पुत्री भीका, पोनी पुत्री भीका गेरीदेवी पत्नि भीका, नारायणलाल पुत्र भीका, भंवरलाल पुत्र भीका कौम सरगरा सा. देह खातेदार	2750 2751 2752	0.06 0.10 0.02	नहरी दोयम नहरी दोयम नहरी दोयम	0.78 1.30 0.26	पीला
		03	**0.1800**	**नहरी दोयम**	**2.34**	
03	गणीया पुत्र समा कौम सरगरा सा. देह खातेदार	**2752/1**	**0.3600**	**नहरी दोयम**	**4.68**	गुलाबी
04	कन्या पुत्री भीका 1/20, गणीया पुत्र समा 1/2, गेरीदेवी पत्नि भीका 1/20, नारायणलाल पुत्र भीका 1/20 पोनी पुत्री भीका 1/20, भंवरलाल पुत्र भीका 1/20, कौम सरगरा हेमाराम पुत्र गणेशजी कौम ढोली 1/4 सा. देह खातेदार	2749/1 2750/1 2751/1	0.01 0.01 0.01	नहरी दोयम नहरी दोयम नहरी दोयम	0.13 0.13 0.13	हल्का भूरा
		03	**0.03**	**नहरी दोयम**	**0.39**	

तहसीलदार, बाली से विभाजन रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकील वादी श्री हेमन्त बोहरा की बहरा सुनी गई। वकील वादी श्री हेमन्त बोहरा ने बहस में तहसीलदार, बाली द्वारा प्रेषित विभाजन रिपोर्ट से सहमति व्यक्त करते हुये इसी अनुसार प्रकरण में विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहरा पर मनन के पश्चात ग्राम बेडा II पटवार हल्का बेडा II तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 2749, 2750, 2751, 2752 कुल खसरा–04 कुल रकबा 0.75 हैक्टर किस्म नहरी दोयम कुल वार्षिक लगान 09.75 रूपये के संबध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है:–

क्रंसं0	नाम खातेदार	विवरण भूमि				नजरी नक्शा में दर्शित रंग
		खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	
01	हेमाराम पुत्र गणेशजी कौम ढोली सा.देह खातेदार	2749 2750/2	0.1300 0.0500	नहरी दोयम नहरी दोयम	1.69 0.65	हरा
		02	**0.1800**	**नहरी दोयम**	**2.34**	
02	कन्या पुत्री भीका, पोनी पुत्री भीका गेरीदेवी पत्नि भीका, नारायणलाल पुत्र भीका, भंवरलाल पुत्र भीका कौम सरगरा सा. देह खातेदार	2750 2751 2752	0.06 0.10 0.02	नहरी दोयम नहरी दोयम नहरी दोयम	0.78 1.30 0.26	पीला
		03	**0.1800**	**नहरी दोयम**	**2.34**	
03	गणीया पुत्र समा कौम सरगरा सा. देह खातेदार	**2752/1**	**0.3600**	**नहरी दोयम**	**4.68**	गुलाबी
04	कन्या पुत्री भीका 1/20, गणीया पुत्र समा 1/2, गेरीदेवी पत्नि भीका 1/20, नारायणलाल पुत्र भीका 1/20 पोनी पुत्री भीका 1/20, भंवरलाल पुत्र भीका 1/20, कौम सरगरा हेमाराम पुत्र गणेशजी कौम ढोली 1/4 सा. देह खातेदार	2749/1 2750/1 2751/1	0.01 0.01 0.01	नहरी दोयम नहरी दोयम नहरी दोयम	0.13 0.13 0.13	हल्का भूरा
		03	**0.03**	**नहरी दोयम**	**0.39**	

पेज लगातार............03

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 18/2019 Gcms No. 2019/00220

अनवान हेमाराम बनाम भंवरलाल वगैरा

अंतर्गत धारा 53, 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। लगान राशि 09.75 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय मुद्रांक पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली पटवारी हल्का बेडा द्वितीय को लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अक्षय प्रकाश)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 1-9-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner